धारा-52. शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य भागिता-निधि तथा सहायक राज्य भागिता-निधि का निस्तारण.- (1) यदि कोई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता-निधि स्थापित की हो समापित या विघटित हो जाये, तो उक्त निधि के नाम मे जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।

(2) यदि कोई केन्द्र समिति जिसने सहायक राज्य भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाये, तो उक्त निधि के नाम से जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य भागिता निधि को किया जायेगा तथा उसके नाम में जमा किया जायेगा जिससे कि उसने धारा 45 के उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन धन प्राप्त किया हो।